प्रेस नोट

दिनांक 17.06.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनामिया लूट का वांछित अभियुक्त लूट के सामान सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 269/2025 धारा 333/ 309(6) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सचिन उर्फ शनी बसोर पुत्र गब्बर उर्फ मन्नू (उम्र करीब 20 वर्ष) निवासी ग्राम बिजरारी थाना पनवाडी जनपद महोबा को मुखबिर खास की सूचना पर बस स्टैण्ड से नहर बाई पास मल्हौवा रोड़ मोड़ पर दबिश देकर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

ज्ञातव्य है कि कि दिनांक 07.06.2025 को प्रमोद सोनी पुत्र नारायण दास निवासी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राठ पुलिस को दी गई तहरीर के माध्यम से बताया गया कि 02 व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर तमंचा दिखाकर कुछ सोने के जेवरात लूट लिए गये थे। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 269/ 25 धारा 333/ 309(6) बीएनएस बनाम 02 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन कर 25,000 रुपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था। विवेचना के क्रम में सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यो के आधार अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र पुत्र हरगोविन्द (उम्र करीब 26 वर्ष) निवासी ग्राम कंधौली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर। 2. सचिन उर्फ शनी बसोर पुत्र गब्बर उर्फ मन्नू (उम्र करीब 20 वर्ष) निवासी ग्राम बिजरारी थाना पनवाडी जनपद महोबा का नाम प्रकाश मे आया। अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र हरगोविन्द को दिनांक 07.06.2025 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस तथा लूट के माल सहित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सचिन उर्फ शनी बसोर पुत्र गब्बर उर्फ मन्नू (उम्र करीब 20 वर्ष) निवासी ग्राम बिजरारी थाना पनवाडी जनपद महोबा ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-269/2025 धारा 333/309(6) बीएनएस थाना राठ जनपद हमीरपुर।
2. मु0अ0सं0- 270/25 धारा 109 बीएनएस थाना राठ जनपद हमीरपुर।
3. मु0अ0सं0 98/25 धारा 4/25 थाना कुलपहाड जिला महोबा।

बरामदगीः-

04 अदद लूट का पीली धातु की चूडी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्र0नि0 रामआसरे सरोज

2.उ0नि0 विनेश गौतम

3. का0 डेगराज सिंह

4. का0 अभिषेक राजपूत

5. का0 रुपेन्द्र सिह